कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

क्रमांक /मु.अ./लोस्वायांवि./2023 ग्वालियर दिनांक

//आदेश//

(1) इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर की रिट पिटीशन क्रमांक 28782/2021 (रामशंकर सिंह एवं सरनाम सिंह बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) में शामिल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड भिण्ड में कार्यरत 02 दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी श्रमिकों क्रमशः (1) श्री रामशंकर सिंह (स्थाईकर्मी हेल्पर) (2) श्री सरनाम सिंह (स्थाईकर्मी हेल्पर) के द्वारा रिट पिटीशन में चाहे गये स्वत्वों का निर्धारण किया जा रहा है।

(2) श्री रामशंकर सिंह एवं श्री सरनाम सिंह स्थायी कर्मी श्रमिकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट पिटीशन क्र. 28782/2021 दायर कर माननीय न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी :–

(अ) मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर का आदेश क्रमांक 519 दिनांक 23.05.2017 द्वारा की गई कार्यवाही को अवैधानिक घोषित किया जाए एवं इस आदेश को निरस्त किया जाए।

(ब) प्रतिवादियों को आदेश जारी किये जाये कि वे वादी कर्मचारियों को स्थायी वर्गीकृत किये जाने के दिनांक से स्थायी कर्मचारी मानते हुये नियमित वेतनमान का सेवालाभ प्रदान करें तथा स्थाई वर्गीकरण की दिनांक से एरियर राशि का लाभ, सभी संगत लाभो एवं ब्याज सहित प्रदान करें।

(स) प्रतिवादियों को यह भी निर्देश जारी किये जाएं कि वे वादी कर्मचारियों को स्थाई वर्गीकरण की दिनांक से हैल्पर के पद की वरिष्ठता एवं अन्य संगत ताभ प्रदान करते हुए उनसे अन्य समान प्रकृति के कर्मचारियों की तरह संव्यवहार करें ।

(3) माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र.28782/2021 का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

In view of the aforesaid, this petition is finally disposed of in terms of the order dated 26.08.2021 passed in W.P. No.4018/2020. Directions as contained therein, shall be made applicable mutatis mutandis to the facts and circumstances of the present case. Parties to act accordingly.

Petition stands allowed and disposed of in above terms

(4) रिट याचिका क्र. 4018/2020 (कामता प्रसाद सोनी बनाम म.प्र शासन अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 26.08.2021 में मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर के स्तर से संबंधित कार्यपालन यंत्रियों द्वारा जारी किये गये स्थाई वर्गीकरण आदेशों को विधि अनुकूल नहीं पायें

जानें संबंधी आदेशों को खारिज करते हुए स्थाई वर्गीकृत कर्मचारियों को स्थाई वर्गीकरण का लाभ प्रदान करने के आदेश दिये गये थे।

(5) वादी कर्मचारियों द्वारा रिट याचिका का पालन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय खडंपीठ ग्वालियर के समक्ष आवमानना याचिका क्रमांक 4594/2023 दायर की गई है, जो विचाराधीन है।

(6) रिट याचिका क्रमांक 28782/2021 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के अनुपालन में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भिण्ड एवं मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र ग्वालियर द्वारा वादी कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गये स्थायी वर्गीकरण को विधि विपरीत बतानें/निरस्त करने संबधीं आदेशों को वापस लेते हुये दोनो वादी कर्मचारियों श्री रामशंकर सिंह एवं श्री सरनाम सिंह के स्वत्वों का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रकरण **''एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य''** में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 **[**1996 AIR 669, 1995 SSC (5) 628**]** के प्रकाश में निम्नानुसार किया जाता है :–

(I) वादी कर्मचारी क्रमशः श्री रामशंकर सिंह एवं श्री सरनाम सिंह द्वारा उन्हें स्थाई वर्गीकृत किये जाने की दिनांक18.01.1989 एवं01.05.1986 से आज पर्यन्त तक की अवधि का, पद के नियमित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के अनुसार एरियर राशि का लाभ प्राप्त करने हेतु सर्वप्रथम रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 2003/2015 एवं डब्ल्यू.पी. 1963/2015 दायर की गई थी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.4.2015 एवं 10.4.2015 द्वारा अभ्यावेदन निराकरण संबंधी आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में मुख्य अभियंता ग्वालियर द्वारा आदेश क्रमांक 520 दिनांक 23.05.2017 के माध्यम से श्री रामशंकर सिंह के अभ्यावेदन का निराकरण किया गया था जिसमें उनके स्थायी वर्गीकरण को विधि अनुकूल नहीं पाते हुये, उन्हें मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को विनियमित करने की योजना के तहत अकुशल श्रमिक को प्राप्त होने वाले लाभ दिए गए थे। इन लाभों से असंतुष्ट होकर दोनो स्थायी कर्मी कर्मचारियों द्वारा दिनांक 21.12.2021 को रिट याचिका क्रमांक 28782/2021 माननीय उच्च न्यायालय खडंपीठ ग्वालियर के समक्ष दायर की गई थी।

(II) दोनो वादी स्थायी कर्मी कर्मचारियों क्रमशः श्री रामशंकर सिंह एवं श्री सरनाम सिंह को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''राम नरेश रावत (सुप्रा)'' प्रकरण में पारित आदेश के प्रकाश में, वर्तमान स्थिति में पूर्व से प्राप्त हो रहे त्रुटिपूर्ण वेतन, को सुधारा जाता है । उनका वेतन निर्धारण स्थाई वर्गीकरण के दिनांक से ही हेल्पर पद के नियमित वेंतनमान (कार्यभारित स्थापना में हेल्पर पद का नियमित वेतनमान रू. ..... के न्यूनतम वेतन के अनुसार तथा समय–समय पर लागू वेतन पुनरीक्षण के अनुसार काल्पनिक आधार पर करते हुए वर्तमान में लागू सातवें वेतनमान के अनुसार प्राप्त होने वाले वर्तमान वेतनमान रू..... में निर्धारित किया जाता है ।

(III) वादी कर्मचारियों क्रमशः श्री रामशंकर सिंह एवं श्री सरनाम सिंह को क्रमशः दिनांक 18.01.1989 एवं दिनांक 01.05.1986 से वर्तमान तक की अवधि की वेतन एरियर राशि का निर्धारण निम्न न्याय दृष्टांतों के आधार पर किया जाता हैः–

(अ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''एम.आर. गुप्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य''** में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 **[**1996 AIR 669, 1995 SSC (5) 628**]**

(ब) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्र. 8014/2022 (सुरेश कुमार तिवारी एव 11 अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2022, रिट पिटीशन क्र. 13892/2022 (हृदयराम यादव एवं 10 अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2023 (श्रीनिवास मिश्रा विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2023

[माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ (सुप्रा) प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि गलत वेतन का दावा मेरिट के आधार पर सही पाया जाता है तो उसे भविष्य में नियमों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिये तथा इस मामले में पूर्व के वेतन एरियर के भुगतान के मामले में लिमिटेशन का प्रश्न उत्पन्न होगा तथा लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 8014/2022, रिट पिटीशन क्रमांक 13892/2022 एवं रिट पिटीशन क्रमांक 4802/2022 में पारित निर्णयों में लिमिटेशन एक्ट **1963** के अनुसार एरियर राशि की पात्रता अवधि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने के दिनांक से 03 वर्ष पूर्व तक की अभिनिर्धारित की गई है।]

उक्तानुसार इन दोनो वादी दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी कर्मचारियों श्री रामशंकर सिंह एवं श्री सरनाम सिंह को रिट याचिका क्रमांक 28782/2021 दायर करने के दिनांक 21.12.2021 से तीन वर्ष पूर्व यानि दिनांक 21.12.2018 से आज पर्यन्त तक की एरियर राशि रू..... के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा राशि का तत्काल भुगतान करने हेतु कार्यपालन यंत्री भिंड को निर्देशित किया जाता है।

(7) यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व में समान प्रकृति के कुछ दैनिक वेतन भोगी स्थायी कर्मी/कार्यभारित/नियमित कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण स्थायी वर्गीकरण के कारण स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान समय तक की वेतन अंतर की एरियर राशि स्वीकृत की गई है। इस आधार पर इन कर्मचारियों को समान रूप से एरियर राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रकरण **''इंडियन काउंसिंल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एवं अन्य विरूद्ध टी.के.सूर्यनारायणन एवं अन्य'' [(1997) एस.सी.सी. 766]** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि कुछ लोगों को त्रुटिपूर्ण लाभ दिया गया है तो वह अन्य लोगों के लिये उस लाभ को प्राप्त करने का आधार नही बन सकता क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया समानता के अधिकार को नकारात्मक रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

मुख्य अभियंता

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा, भोपाल

क्रमांक /विधि/प्र.अ./लोस्वायांवि./2023 भोपाल, दिनांक

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
ग्वालियर परिक्षेत्र ग्वालियर

विषय :– रिट पिटीशन क्रमांक 28782/2021 (रामशंकर सिंह एवं सरनाम सिंह बनाम म. प्रशासन एवं अन्य) में स्वत्वों का निर्धारण करने विषयक।

00

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि रिट याचिका क्रमांक 28782/2021 (रामशंकर सिंह एवं सरनाम सिंह बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य) मे पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के अनुपालन में वादी कर्मचारियों के स्वत्वों का निर्धारण आपके स्तर से किया जाना है।

इस कार्यालय द्वारा इस संबध मे एक आदेश प्रारूप आपके मार्गदर्शनार्थ भेजा जा रहा है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रारूप के अनुसार भुगतान की कार्यवाही समय सीमा में पूर्णकर इस कार्यालय को अवगत कराये।

संलग्न उपरोक्तानुसार 1 प्रारूप

प्रमुख अभियंता